न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : – 11/2026

प्रार्थी :–

1. सुराराम पुत्र भाकरराम जाति पटेल निवासी पटेलों की ढाणी खेड़ा सरेचा तहसील लूणी जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी, जिला जोधपुर
2. दलाराम पुत्र बस्तीराम
3. पप्पाराम पुत्र नेमाराम,
4. भीमाराम पुत्र पोलाराम जातियान पटेल, निवासीगण सालावास तहसील लूणी
5. चौथाराम पुत्र कानाराम
6. पुनाराम पुत्र कानाराम जातियान बिशनोई निवासीगण ग्राम सर तहसील लूणी जिला जोधपुर।
7. हितेष कुमार पुत्र प्रभूलाल, जाति जैन, निवासी भुवाल सदन होली चौक सरदारपुरा तहसील एवं जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति : –

1. प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री सचिन दवे।
2. अप्रार्थीगण की और से कोई उपस्थिति नहीं।

दिनांक :– 10.06.26

–: आदेश :–

1. पत्रावली के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी की खातेदारी कि कब्जा काश्त का कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 687/519 कुल रकबा 0.5665 हैक्टयर भूमि वाके गाम सर, पटवार हल्का सरेचा तहसील लूणी मे आई हुई है। प्रार्थी के खातेदारी कि उपरोक्त कृषि भूमि के पूर्वी दिशा की ओर ग्राम सरेचा की सरहद है और सरहद पार प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण कि खातेदारी कृषि भूमि ग्राम सरेचा पटवार हल्का सरेचा के खेत खसरा संख्या 504 में आई हुई है जो कि प्रार्थी के खसरा संख्या 687/519 के समीप है तथा उसके पास आम रास्ता स्थित है। प्रार्थी कि खातेदारी कि कृषि भूमि में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 504 ग्राम सरेचा मे से प्रार्थी तथा उसके पूर्व के खातेदार वर्षो से ही इस खसरे कि दक्षिण कि ओर बनी माठ के सहारे ग्राम सरेचा के खसरा नम्बर 504 में से कदमी रूप से काम मे लेता आ रहा है परन्तु उक्त भूमि प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण कि खातेदारी कि राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है एक मात्र इसी भू भाग द्वारा प्रार्थी अपने कृषि भूमि तक जाता आ रहा है। प्रार्थी को उक्त भूमि मे जाने के लिए कोई भी अन्य वैकल्पिक रास्ता नही है तथा प्रार्थी ग्राम सरेचा के खसरा संख्या 504 में अपने हक हिस्से की भूमि में से रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी को आने जाने के लिये खसरा संख्या 504 कि भूमि के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है तथा कोई वैकल्पिक

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

रास्ता भी नही है। प्रार्थी कि भूमि के लिए कोई रास्ता नही होने के कारण प्रार्थी को रास्ते को आत्यन्तिक आवश्यकता है जिससे प्रार्थी अपने खातेदारी कि कृषि भूमि का कृषि कार्य के लिए उपयोग कर सके। साथ ही उक्त खसरो ग्राम सरेचा के खसरा संख्या 504 के सहारे सहारे होते हुए आम रास्ता तक पहुच जाता है जो कि प्रार्थी कि कृषि भूमि के लिए निकटतम एव लघुतम मार्ग भी है परन्तु ग्राम सरेचा के खसरा नम्बर 504 राजस्व रिर्कोड मे प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण का नाम दर्ज होने से प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से निवेदन किया कि वो उक्त भू भाग को रास्ते के रूप मे दर्ज कराने दे परन्तु अप्रार्थीगण टालमटोल कर रहे है ऐसी स्थिति मे प्रार्थी कि भूमि मे पहुचने के लिए खसर नम्बर 504 की माठ के सहारे प्रार्थी के हक हिस्से में से 30 फिट का रास्ता उपलब्ध करावाया जाकर उक्त रास्ते का राजस्व रेकर्ड मे गैर मुमकिन रास्ते के रूप में उपलब्ध करवाया जाकर उक्त रास्ते का राजस्व रिर्कोड मे गैर मुमकिन रास्ते के रूप मे दर्ज किया जाना कानून व न्यायसंगत होगा जिसके लिए उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 504 ग्राम सरेचा में से नजरी नक्शा में वर्णित प्रस्तावित रास्ते के अनुसार प्रार्थी को रास्ता उपलब्ध करवाया जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के साथ नजरी नक्शा प्रस्तुत किया जा रहा है जो इस प्रार्थना पत्र का भाग समझा जावे।

2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। जिसकी विधिवत तामिल प्राप्त हुई, जो शामिल मिसल की गई। अप्रार्थीगण को अनेक अवसर दिये जाने के बावजूद प्रार्थना पत्र के संबंध में अपना जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से अप्रार्थीगण का जवाब बंद किया गया।

3. तहसीलदार लूणी को प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई। जिस पर तहसीलदार लूणी के पत्रांक/भू.अ./2026/1757 दिनांक 19.05.2025 के द्वारा प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की गई। तहसीलदार लूणी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम सर के खसरा नं. 687/519 में जाने के लिए रास्ता अति–आवश्यक बताया है। उक्त प्रस्तावित रास्ता ग्राम सरेचा के खसरा नं. 504 में से एक मात्र निकटतम रास्ता है जो कि मौके पर मौके पर चालु है तथा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रस्तावित रास्ते को मौका रिपोर्ट में लाल स्याही में मार्क CDEF में दर्शाया गया है। उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि में प्रार्थी सूराराम का ख. नं. 504 की भूमि में अपना सम्पूर्ण हिस्सेनुसार रकबा 0.0183 हैक्टेयर भूमि को सम्मिलित करते हुए रास्ता चाहता है जिससे अप्रार्थीगण के भूमि का नुकसान कम हो। प्रार्थी के खेत में आने–जाने के लिए ख. नं. 504 मे से निकटतम रास्ता प्रस्तावित है जिसकी की चौड़ाई 30 फीट तथा लम्बाई 98 फीट तथा रास्ते का कुल रकबा 2940 वर्गफीट बनता है जिसकी DLC राजस्थान मुद्रांक नियम 2004 के नियम 2 के तहत नये मार्ग में DLC दर 675400 प्रति हैक्टयर से कुल 36,877 रूपये अक्षरे छतीस हजार आठ सौ सत्तर रूपये मुआवजा राशि बनती है।

4. पत्रावली में उपस्थित अधिवक्ता की बहस सुनी सूनी गई। बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। चुंकि प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा अपने खातेदारी की कृषि भूमि में आने जाने हेतु किसी प्रकार का कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही होने के कारण यह प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा तहसीलदार लूणी द्वारा पेश तथ्यात्मक रिपोर्ट एंव मौका रिपोर्ट के अनुसार ग्राम सरेचा के खसरा नं. 504 में से बिन्दू CDEF तक प्रस्तावित

सहायक कलेक्टर एव उपखण्ड अधिकारी
लूणी

रास्ते को मौके पर एक मात्र निकटतम एवं चालू रास्ता बताया जाकर रास्ता कायम करने हेतु अनुशंषा की गई है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

5. अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर खसरा नम्बर 687/519 में पहुंचने हेतु खसरा नम्बर 504 ग्राम सरेचा तहसील लूणी की कृषि भूमि में से तहसीलदार लूणी के रिपोर्ट के संलग्न मौका फर्द एवं नजरी नक्शे अनुसार बिन्दू बिन्दू CDEF तक 20 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थी को उपलब्ध करवाया जाता है। तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि उक्त खसरा नम्बर 504 ग्राम ग्राम सरेचा तहसील लूणी में से मौका फर्द सलंग्न नजरी नक्शे अनुसार मार्क CDEF तक भूमि राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में अमल दरामद व तरमीम करे। मौके पर रास्ता कायम कर खुलवाया जावें। उक्त रास्ते की भूमि की प्रतिफल की राशि का तहसीलदार लूणी द्वारा गणना कर प्रार्थी को अवगत करवाने पर प्रार्थी उक्त राशि की चैक अथवा डी.डी. बनाकर तहसीलदार लूणी के समक्ष पेश करें। मौका फर्द दिनांक 30.04.2026 को इस आदेश का अभिन्न अंग समझा जाए। आदेश लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हंसमुख कुमार आर.ए.एस)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी